कार्यालय नगर विकास न्यास, सीकर

सर्किट हाउस के पास, जयपुर रोड़, सीकर–332001

ई–मेल uit.sikar@rajasthan.gov.in, फोन नं. 01572–245057

क्रमांकः– नविन्यास/नियमन/2025/00941 दिनांकः– 18.06.2025

प्रेषितीः–

नन्द लाल पवार पुत्र श्री आशा राम पंवार
जाति हरिजन बलाई निवासी वार्ड नं. 4,
उदयलाल की ढाणी, राधाकिशनपुरा तह. व जिला सीकर।

विषयः– राजस्व ग्राम राधाकिशनपुरा तह. सीकर के खसरा नम्बर 2691/2495 रकबा 0.2065 है. व खसरा नम्बर 2693/2505 रकबा 0.1885 है. कुल रकबा 3950.00 वर्गमीटर भूमि पर मारूति विहार फैज–4 आवासीय योजना के अनुमोदन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा राजस्व ग्राम राधाकिशनपुरा तह. सीकर के खसरा नम्बर 2691/2495 रकबा 0.2065 है. व खसरा नम्बर 2693/2505 रकबा 0.1885 है. कुल रकबा 3950.00 वर्गमीटर भूमि पर मारूति विहार फैज–4 आवासीय योजना को टाउनशिप पॉलिसी 2010 की पालना सुनिश्चित करते हुए निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन विकसित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

1. रेरा (RERA) में रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरान्त ही भूखण्डों का विक्रय/बेचान किया जावे।
2. योजना संलग्न अनुमोदित मानचित्रानुसार ही विज्ञ तकनिकीविद की देख–रेख में विकसित की जावेगी। सर्वप्रथम अनुमोदित प्लान अनुसार सम्पूर्ण योजना के चारों और सुरक्षा दिवार बनायी जाकर न्यास को सूचित करना होगा।
3. समस्त विकास कार्य टाउनशिप पॉलिसी 2010 के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही किये जाने होगें तथा नियमों की कठोरता से पालना की जानी आवश्यक है।
4. अनुमोदित योजना में सीसी सड़क निर्माण कार्य के लिए न्यास द्वारा जारी आदेश क्रमांक नविन्यास/विकास/2024–25/232 दिनांक 15.01.2025 में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप कार्य किया जाने की सुनिश्चितता करनी होगी।
5. वाटर ड्रेनेज, ओवर हैड टैंक एवं सीवरेज लाईन हेतु राशि न्यास कोष में जमा करवाई गई है।
6. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार 2.00 है. तक की योजनाओं के लिए 18 माह की अवधि आन्तरिक विकास कार्यों के लिए निर्धारित है।
7. योजना का अनुमोदित मानचित्र योजनास्थल पर बड़े पटल पर प्रदर्शित करना होगा।
8. भू–खण्डों का सीमांकन किया जाकर भू–खण्ड संख्या अंकित किया जाना होगा।
9. योजना में वृक्षारोपण भवन विनियम 2020 के अनुसार ही किया जाना होगा।
10. आन्तरिक विकास कार्यों के एवज में 12.50 प्रतिशत (भूखण्ड संख्या 1 व 13 कुल भू–खण्ड–02) भू–खण्डों का न्यास के पक्ष में रहननामा सम्पादित किया गया है एवं इस आशय का एक बोर्ड भी योजना में चस्पा किया जाना आवश्यक है।
11. विकासकर्ता को सम्पूर्ण कार्य होने के उपरान्त 3 वर्ष तक Maintenance किया जाना आवश्यक होगा। (Maintenance charges may be recovered by developer from the allotees).
12. बोरिंग/ट्यूबवेल/पाईपलाईन को नियमानुसार पी.एच.ई.डी. को हस्तान्तरण (Hand over) किया जाना होगा।
13. योजना में विद्युतिकरण का कार्य स्टेट इलेक्ट्रीसिटी रूल्स के निर्धारित मापदण्डानुसार किया जाकर ए.वि.वि.एन.एल. को हस्तान्तरण किया जाना होगा।

संलग्नः– अनुमोदित योजना मानचित्र।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
सचिव
नगर विकास न्यास, सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Designation : Secretary
Date: 2025.06.18 18:37:04 IST
Reason: Approved

MARUTI VIHAR PHASE-4

LAYOUT PLAN OF KHASRA NO.- 2693 2691 / 2505 2495, INSIDE MAHADEV SINGH KHANDELA ROAD, NEAR APPROVED SCHEME METRO CITY PHASE-IV, RADHAKISHANPURA, SIKAR
REVENUE VILL.- RADHAKISHANPURA, TEH.- & DIST.- SIKAR(RAJ.)
FOR-90-A & REDIDENTIAL SCHEME
APPLICANT:- NAND LAL PANWAR S/O AASHA RAM PANWAR

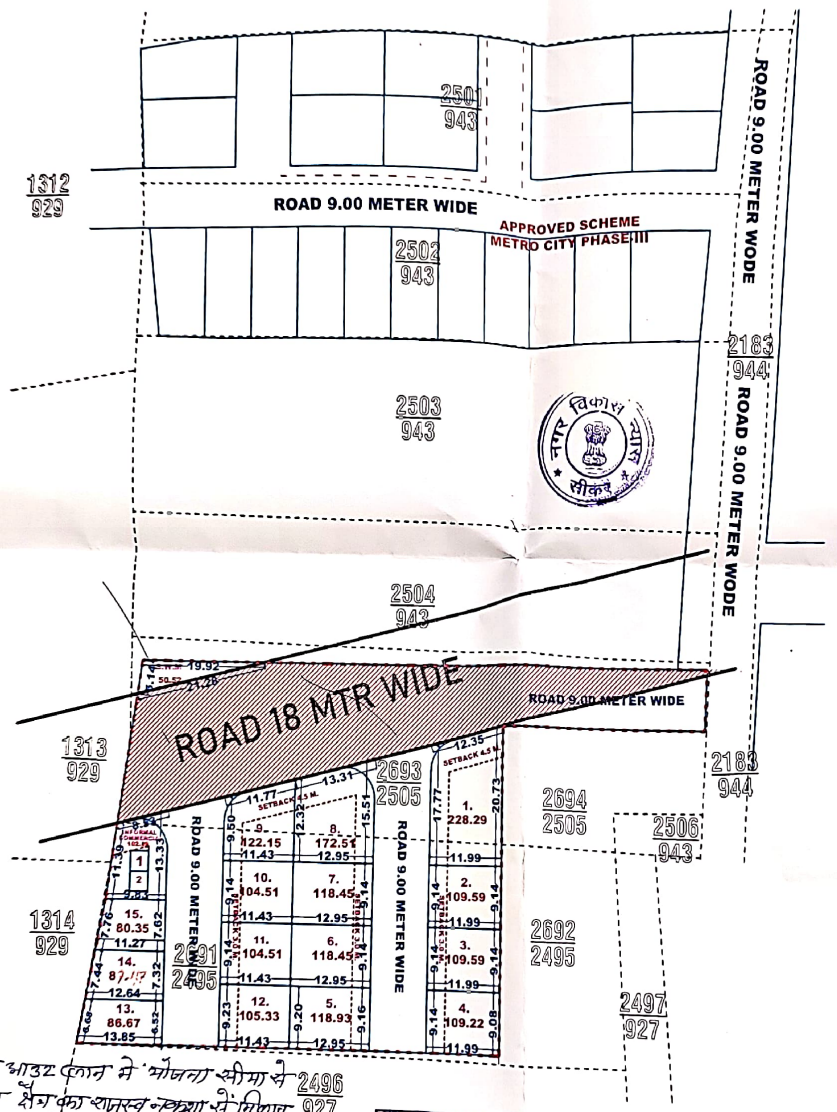

इस ले आउट प्लान मे योजना सीमा से प्रदर्शित क्षेत्र का राजस्व नक्शा से मिलान किया गया जो लगभग अनुरूप है।
21/5/2025
न्यास ग्रेड

योजना का नाम MARUTI VIHAR P-4 का ले–आउट आज दिनांक 21/5/25 को लेआउट प्लान कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

GOOGLE MAP SECTOR MAP

21/5/25 उप नगर नियोजक नगर सुधार न्यास सीकर	21/5/25 बी.एल. शर्मा अधिशाषी अभियन्ता न.वि. न्यास, सीकर	21-5-2025 सचिव नगर विकास न्यास, सीकर

TOTAL AREA OF K.H. NO. 2693/2505 = 1885.00 SQ. MTR
TOTAL AREA OF K.H. NO. 2691/2495 = 2065.00 SQ. MTR
TOTAL AREA FOR LAYOUT = 3950.00 SQ. MTR

URBAN IMPROVEMENT TRUST SIKAR

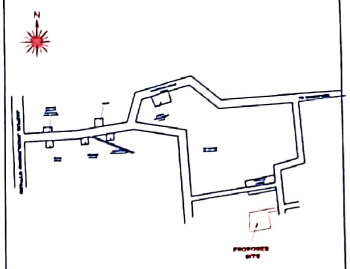

KEY-PLAN
Not To Scale

AREA ANALYSIS

S.N.	LAND USE	AREA (sq.mtr.)	%	
1.	RESIDENTIAL	1776.02	44.96%	47.57%
2.	INFORMAL COMMERCIAL each 3mX3m	0102.89	02.61%	
3.	S.W.M	0050.52	01.28%	
4.	SURRENDAR IN ROAD	1132.60	28.67 %	51.15%
5.	ROAD	0887.97	22.48 %	
	TOTAL	3950.00	100.00 %	

SCHEME PLOTS DETAIL

	PARTICULARS	NO.
1.	RESIDENTIAL PLOTS	15
2.	INFORMAL COMMERCIAL	2
3.	SWM	1

	SCHEME BOUNDARY
	KHASRA LINE
	PLOT BOUNDARY
	SET BACK LINE
	SURRENDAR IN ROAD

NOTE : ALL DIMENSIONS ARE IN METER

SCALE-1 C.M. =6.0 MTR